पक्षकार श्री - वादी वकील द्वारा प्रकरण को लोक अदालत की भावना से नेशनल ग्रिड के व्यापित किया जाने हेतु अपनी अर्जी प्रस्तुत की।

हमने वादी को सुना गया, वादी वकील लोक अदालत की भावना से प्रकरण को नेशनल ग्रिड के व्यापित हेतु लिखा गया है। प्रकरण को वहीं रखकर नेशनल ग्रिड के व्यापित किया जाता है। पक्षकार श्री लाखन कौशल्या कुमार हो. प्रकरण, बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हो।

सदस्य
लोक अदालत
भरतपुर

अध्यक्ष
लोक अदालत
भरतपुर

Scanned with CamScanner